सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–184/2022 — दर्ज तिथिः–29.09.2022

1. रामकेन पुत्र सांवताराम
   जाति विश्नोई निवासी राणासर कला, तहसील धोरीमन्ना।

......................प्रार्थी

बनाम

1. हडु.मान पुत्र दौलाराम
2. शोभाराम पुत्र सांवताराम
3. सुखराम पुत्र सांवताराम
4. रूगनाथ पुत्र सांवताराम
5. ओमप्रकाश पुत्र रूगनाथ
   जाति विश्नोई निवासी राणासर कला,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

.........................असल विप्रार्थीगण

6. तहसीलदार धोरीमना

.........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः– श्री देवाराम चौधरी(1)
श्री जगदीश कुमार(2)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–08.08.2025

प्रार्थना–पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा –131,136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 321,327,337,328 रकबा क्रमशः 63–03, 0–06 [illegible] 220–01 बीघा मौजा राणासर कला पटवार हल्का राणासर कला तहसील [illegible] में अवस्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का संयुक्त [illegible] संख्या 328 [illegible] 220–01 बीघा यानि 35.6122 है0 का था जो त्रुटिपूर्ण तरमीम के बाद खसरा संख्या 328/23.3[illegible]0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

328 / 3 / 11.8411 है0, 531 / 328 / 0.3237 है0 के हो गए परन्तु तरमीम दुरस्त मूल खसरा मानकर किया जाना न्यायसंगत है। उक्त आराजी में विप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से की कुछ भूमि एक निजी दूध डेयरी को बेचान कर दी तथा उक्त बेचान के बाद सभी सहखातेदारों ने सहमति से दूध डेयरी को कब्जा सुपूर्द कर विप्रार्थी संख्या 01 ने दूध डेयरी की तरमीम अलग करने हेतु कुछ कागजों पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 व अन्यों के घर पर ही अंगूठे करवाये तथा उक्त अंगूठा निशान के आधार पर विप्रार्थी संख्या 01 ने दूध डेयरी के साथ कुछ हिस्सा प्रार्थी का तथा पीछे की तरफ कुछ हिस्सा विप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त की भूमि पर बिना स्वतंत्र सहमति तथा बिना बताए अपना हिस्सा अलग कर अलग तरमीम करवा दी गई । उक्त हिस्सा अलग करने व त्रुटि पूर्ण तरमीम की जानकारी प्रार्थी व अन्य भाईयों को नहीं होने दी। कुछ समय पूर्व प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पत्थरबंदी करवाये जाने का नोटिस प्राप्त होने पर इस त्रुटिपूर्ण तरमीम की जानकारी प्राप्त होने पर गांव के मौजिज लोगों के साथ विप्रार्थी संख्या 01 ने त्रुटिपूर्ण तरमीम होना स्वीकार कर हल्का पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक से मौके पर नाप करवाकर रेकर्ड में खातेदारी व कब्जा काश्त अनुसार नजरिये नक्शा बनाकर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर कर सहमति से तरमीम दुरस्त करने हेतु तहसील कार्यालय उपस्थित हुए लेकिन विप्रार्थी संख्या 01 हाजिर नहीं होने से सहमति से तरमीम दुरस्त नहीं हो सकी। अतः प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ग्राम राणासर कला पटवार हल्का राणासर कला तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 321, 327, 337, 328 रकबा क्रमशः 63—03, 0—06, 97—12, 220—01 बीघा व मूल खसरा संख्या 328 में से त्रुटिपूर्ण तरमीम से नवसृजित खसरा संख्या 328 / 23.3099 है0, 328 / 3 / 11.8411 है0, 531 / 328 / 0.3237 है0 को मूल खसरा संख्या के साथ मानकर आम सहमति से मौजिज लोगों की उपस्थिति में कायम नजरिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त आवेदन के साथ सहमति हस्ताक्षर युक्त नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण 3 से 5 के नोटिस विधिवत तामिंली के बावजूद अनुपस्थित होने पर विप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 तक के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्राथीगण संख्या 1 से 2 मय वकुलाय न्यायालय हाजा उपस्थित हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 2 को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब बंद किया गया। उक्त आवेदन में तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक भू.अ. / 2025 / 1432 दिनांक [illegible] 2025 के संलग्न दिनांक 26.04.2025 की बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय [illegible] नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जवाब में प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के खसरा संख्या 328 में से नवीन खसरा संख्या 328 / 3 में आंशिक कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

काश्त से भिन्न तरमीम दर्ज होने का उल्लेख किया गया है तथा उक्त खसरे की तरमीम मौका कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किया जाना उचित होना बताया गया है। तथा खसरा संख्या 328/3 को मौके कब्जे काश्त अनुसार दुरस्त कर शेष रकबा मूल खसरे 328 में दिया जाना उचित होना बताया गया है। तरमीम दुरस्त किये जाने से रकबा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार होगा तथा विप्रार्थी का तरमीम दुरस्त किये जाने पर शेष रकबा मूल खसरे में दिये जाने से मौके अनुसार रेकर्ड में समानता होगी।

3. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार नवीन विभाजित खसरे की तरमीम गलत दर्शाई गई है जो परिशिष्ट 'अ' अनुसार दर्शाई गई है। नवीन विभाजित खसरे की तरमीम मौका एवं कब्जा काश्त के में दर्शाऐ अनुसार परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने का कथन किया गया। अतः खसरा संख्या 328, 328/3 व 328/4 की परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वांन अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई।विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारानकी जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार खसरा संख्या 328/3 ,328/4 व 328 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा तरमीम दुरस्त किये जाने से रकबा रेकर्ड अनुसार रहेगा। इसलिए परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	1. विप्रार्थी संख्या 1 मय वकुलाय उक्त मौका रिपोर्ट पर दौराने बहस एतराज व्यक्त किया जबकि विप्रार्थी संख्या 2 ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटिपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती दुरस्त किया जाना उचित होने का उल्लेख किया गया है। अतः उसी अनुसार तरमीम पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

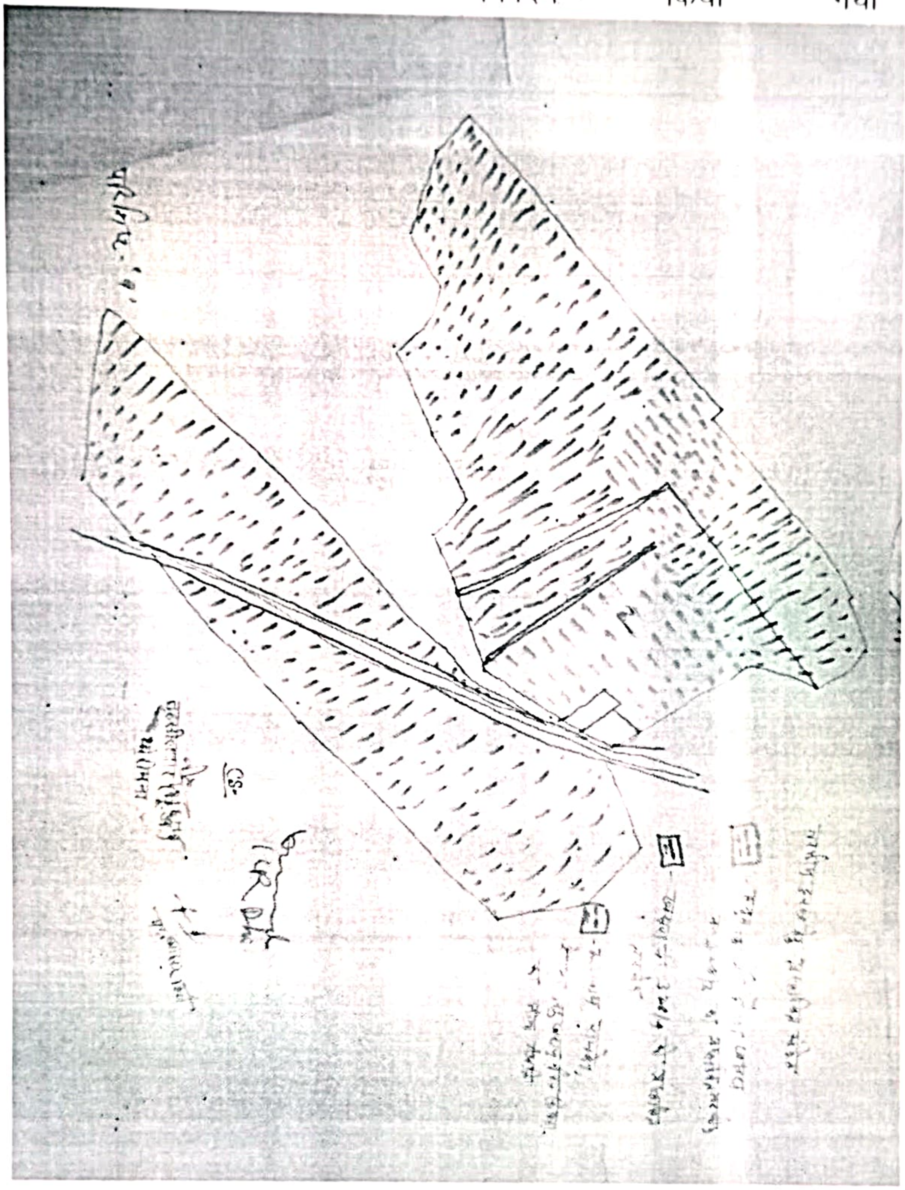

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** मूल खसरा संख्या 328 में से नवसृजित खसरा संख्या 328 / 3 की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं होने से तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.04.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती कर राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:25 IST
Reason: SelfAttested

धोरीमन्ना, बाड़मेर

रामकेन बनाम हनुमान
2022 / 269
निर्णय दिनांकः–08.08.2025

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट दिनांक 26.04.2025 में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.04.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

8/8/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:25 IST
Reason: SelfAttested